

15-2-18 पत्रावली पेश हुई। पक्कदारान वकील उपस्थित ही पक्कदारान
वकील दि० 6-4-18 को जारी आदेश को मूलवाद के निरस्त
तक कब्जा करने हेतु सहमत है अतः दि० 6-4-18 को
जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये अधीन
स०। लघा० प के स्थान पर उमम प के मूलवाद के
निरस्तकरण तक अरबाई निषेधपत्र से पाबंद किया
गया। सम्बन्धित को सुनवाई तदरीफ जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार देकर दर्ज नगद से भ्रम हो। आदेश
रखले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक